

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या  
12/66/2025

रजिस्टर्ड नंबर  
2025/317

प्रवेश तिथि  
19.11.2025

निर्णय दिनांक  
23.01.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री श्याम प्रसाद, ग्राम 2/1, एनईबी, दाउदपुर, अलवर राज0 ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 लिंग मोटर, एवं 4 रेग्यूलैटर को राजसात करने बाबत ।

उपस्थिति :-

1. प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि ।

निर्णय :-

प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 लिंग मोटर, एवं 4 रेग्यूलैटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6"ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया ।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 09.10.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अमित कुमार यादव, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री श्याम प्रसाद, ग्राम 2/1, एनईबी, दाउदपुर, जिला अलवर की अग्रसेन सर्किल के समीप, फलाई ओवर के बाई ओर, नाले पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री श्याम प्रसाद, ग्राम 2/1, एनईबी, दाउदपुर, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री श्याम प्रसाद की दुकान पर 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 रिफिलिंग मोटर, एवं 4 रेग्यूलैटर अवैध रूप से संग्रहित मिले।

श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री श्याम प्रसाद द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री श्याम प्रसाद द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 रिफिलिंग मोटर, एवं 4 रेग्यूलैटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 रिफिलिंग मोटर, एवं 4 रेग्यूलैटर को मै० गोविन्द गेस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री कुन्दन पुत्र श्री दयाराम, निवासी सर्राफा बाजार, त्रिपोलिया, अलवर को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 लिंग मोटर, एवं 4 रेग्यूलैटर को राजसात करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर चिंतन-मनन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी मिथलेश कुमार की दुकान पर 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 लिंग मोटर, एवं 4 रेग्युलेटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच घरेलू गैस सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी के द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफरिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 लिंग मोटर, एवं 4 रेग्युलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 कांटा, 1 लिंग मोटर, एवं 4 रेग्युलेटर, को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)